उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्याः 1934– औस/पाकालि/2011–11(1)ए0एस0/2009 दिनांकः 01 जुलाई, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तो एवम् कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या–4452–औस–17 /पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या–3593–औस–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली क्षेत्र, बरेली के पत्र संख्या–366–मु0अ0(वि0)/ब0क्षे0/10वी0 दिनांक 26.05.2011 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियो के परिप्रेक्ष्य में **क्लेरा स्वैन मिशन अस्पताल बरेली–243001** (दूरभाष नं0–0581–2500000, मो0नं0–7500612345, 7500712345) को एतद्द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार)'29–एन0जी0–2/78, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवम् शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा।

1– अंस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होगें। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

2– चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।

3– चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी :–

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवम् लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवम् डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ड़) रोग का नाम (डाइग्नासिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4– कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की बेब साइट **www. uppcl.org - Personnel** पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

........2/–

5– यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

6– निर्धारित/ अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः 1934–(1) औस/पाकालि/2011–तद्दिनांक 01.07.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

2– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त), महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।

5– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

7– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशसी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।

8– समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

9– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव–प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org- Personnel पर लोड करने हेतु ।

12– प्रबन्धक, क्लेरा स्वैन मिशन अस्पताल बरेली ।

13– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

14– कट फाइल ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी